राफेल डील

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए राफेल डील की जांच और इस मामले में केस दर्ज किए जाने को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है। इसी के साथ, सौदे को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
- इस मामले में चीफ जिस्टिस रंजन गोगोई, जिस्टिस संजय िकशन कौल और जिस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि राफेल की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है।
- चीफ जिस्टस ने कहा कि हम सरकार को 126 विमानों की खरीद के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

सीलबंद दो लिफाफों में रिपोर्ट सौंपी

- 🕨 केंद्र सरकार ने सुनवाई में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत और उसके फायदे के बारे में कोर्ट को सीलबंद दो लिफाफों में रिपोर्ट सौंपी थी।
- अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने राफेल की कीमत की जानकारी साझा कर दी है, लेकिन इसको रिव्यू करना एक्सपर्ट का काम है। इसको न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती है।

विमान की कीमत

- केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि 2016 के एक्सचेंज रेट के मुताबिक खाली राफेल जेट की कीमत 670 करोड़ रुपये है।
- 🕨 लेकिन पूरी तरह से हथियारों से लैस राफेल विमान की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं।
- सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा था कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर तभी चर्चा की जा सकती है, जब वह तय कर लेगी कि उसे सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं।

राफेल डील विवाद क्या है?

- राफेल डील में विमानों की कथित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमत यह विवाद का मुख्य कारण बना।
- सरकारी कंपनी HAL को सौदे से बाहर रखे जाने और अनिल अंबानी की कंपनी को दसां द्वारा ऑफसेट पार्टनर बनाए जाने तथा कथित तौर पर सुरक्षा
 मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बिना मंजूरी के ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सौदे के ऐलान जैसे मुद्दों को लेकर विवाद है।
- राफेल डील को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी काफी हमलावर है और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। सौदे के विवादों में घिरने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। विपक्षी पार्टी इस सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा रही है।

दायर याचिका

- ≽ राफेल डील में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सबसे पहले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी।
- 🕨 इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता विनीत ढांडा ने याचिका दायर कर शीर्ष अदालत की निगरानी में इस सौदे की जांच कराने का अनुरोध किया था।
- > इस मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर 2018 को सुनवाई पूरी की थी।
- इन याचिकाओं में अनुरोध किया गया कि राफेल विमानों की डील में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
 दिया जाए लेकिन अब सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

केंद्र सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का बचाव किया था और इनकी कीमत से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था।
- भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की कीमत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है तािक भारतीय वायुसेना की
 मारक क्षमता में सुधार किया जा सके।

राफेल विमान की विशेषताएं

राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टीरोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कम्पनी बनाती है।

 राफेल विमान हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ-साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है।

- यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से थ्रीडी मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है।
- इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है।
- यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमानवाहक पोत से भी उड़ान भरने के सक्षम है। यह 36 हजार फीट से लेकर 50 हजार फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं यह 1 मिनट में 50 हजार फीट पर पहुंच जाता है। इसकी रफ्तार 1920 किमी प्रति घंटे है।
- यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है।

यूपीए सरकार का सौदा क्या था?

- 🕨 भारत ने वर्ष 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी।
- 🗲 यूपीए सरकार के दौरान राफेल खरीद सौदा नहीं हो पाया था और उस समय सौदे को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत ही चलती रही।
- तत्कालीन रक्षा मंत्री एक एंटनी ने भारतीय वायु सेना से प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी।
- > इस बड़े सौदे के दावेदारों में लॉकहीड मार्टिन के एफ-16, यूरोफाइटर टाइफून, रूस के मिग-35, स्वीडन के ग्रिपेन, बोइंग का एफ/ए-18 एस और दसॉ एविएशन का राफेल शामिल था।
- 🕨 मूल प्रस्ताव में 18 विमान फ्रांस में बनाए जाने थे जबिक 108 हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किये जाने थे।

मौजूदा सौदा क्या है?

- भारत और फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 23 सितंबर 2016 को 7.87 अरब यूरो (लगभग 59,000 करोड़ रुपये) के सौदे पर हस्ताक्षर किए।
- 🕨 यह समझौता दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ है। भारतीय एयर फोर्स के अपग्रेडेशन के प्लान के तहत यह समझौता हुई है।
- 🕨 इन जेट्स को फ्रांस की दसॉ कंपनी ने तैयार किया है। विमान की आपूर्ति सितंबर 2019 से शुरू होगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपित फ्रांसवा ओलांद ने 10 अप्रैल 2015 को संयुक्त बयान जारी कर बताया था कि दोनों सरकारें
 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के सौदे के लिए सहमत हैं।

ट्रांसजेंडर विधेयक पारित

समाचारों में क्यों?

- 🕨 लोकसभा में 17 दिसंबर 2018 को ट्रांसजेंडर विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया।
- इस विधेयक में उभयिलंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक को ध्विनमत से मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें उभयिलंगी व्यक्ति को पिरभाषित करने,
 उनके खिलाफ विभेद का निषेध करने एवं उनके लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदू

- सदन ने अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच 27 सरकारी संशोधनों को स्वीकार करने और कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को मंजूरी दे दी।
- > इस विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के हितों का खास ध्यान रखा गया है।
- 🕨 इस विषय पर मसौदे को वेबसाइट पर रखा गया था और लोगों से सुझाव मांगे गए थे।
- संसद की स्थायी सिमित ने भी इस पर विचार किया और 27 सुझाव मान लिये गए हैं।
- विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि उभयिलंगी समुदाय देश में एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिये पर है क्योंकि वे 'पुरुष'
 या 'स्त्री' के लिंग के सामान्य वर्गों में फिट नहीं हैं।
- पिरणामस्वरूप उन्हें सामाजिक बिहष्कार से भेदभाव, शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को समता की गारंटी एवं सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित किये जाने के बाद भी उभयिलंगी व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद और अत्याचार होना जारी है।

(साक्षात्कार विशेष) समसामियक विषय

 उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत सरकार के मामले में 15 अप्रैल 2014 को उनके अधिकारों के सुरक्षा के प्रयोजन से उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निर्देश दिया है।

- विधेयक में उभयिलंगी व्यक्ति को परिभाषित करने, उनके खिलाफ विभेद को प्रतिषेध करने, उन्हें स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार देने, उन्हें पहचान प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ नियोजन, भर्ती, पदोन्नित और अन्य संबंधित मुद्दे पर उनके साथ विभेद नहीं करने का प्रावधान किया गया है।
- 🕨 इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने तथा राष्ट्रीय उभयलिंगी परिषद स्थापित करने का प्रावधान है।
- विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

अभिनव भारत @ 75

समाचारों में क्यों?

- नीति आयोग ने 19 दिसंबर 2018 को भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की जिसमें 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है।
- यह 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण है, जो पहले से हो चुकी प्रगित को मान्यता प्रदान करती है, बाध्यकारी रुकावटों की पहचान करती है
 और स्पष्ट रूप से विर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा के बारे में सुझाव देती है।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. रमेश चन्द और डॉ. वी.के. सारस्वत तथा मुख्य कार्यकारी अधि कारी अमिताभ कांत की उपस्थित में 'अभिनव भारत@75 के लिए कार्यनीति' जारी की।

सिविल सर्विसेज में सुधार हेतु सिफारिशें

- > नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की है।
- 🕨 आयोग ने कहा है कि सिविल सर्विसेज में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 साल कर दी जानी चाहिए।
- आयोग ने कहा है कि अधिकतम आयु में यह 2022-23 तक लागू कर देनी चाहिए।
- 🕨 आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए।
- सभी सेवाओं में भर्ती के लिए सेंट्रल टैलंट पूल बनाए जाने का सुझाव दिया गया है।
- 🕨 इसमें अभ्यर्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न सेवाओं में लगाया जाए।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि नौकरशाही में उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकें।

कार्यनीति के चार खंड

- 🕨 दस्तावेज के 41 अध्यायों को चार खंडों, क्रमश: वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है।
- वाहकों पर आधारित पहला खंड आर्थिक निष्पादन के साधनों, विकास और रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष
 पारिस्थितिकी को उन्नत बनाने और फिनटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने संबंधी अध्यायों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

प्रमुख सिफारिशें

- वर्ष 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की गित को निरंतर तेजी से बढाना।
- इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार होगा और यह 2017-18 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा आंकी गई निवेश दरों में जीडीपी के मौजूदा 29 प्रतिशत में वृद्धि लाते हुए 2022 तक 36 प्रतिशत तक बढाना।
- कृषि क्षेत्र में, ई-राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन सिमिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपण् ान अधिनियम लाकर किसानों को 'कृषि उद्यमियों' में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए।
- 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' की तकनीकों पर दृढ़ता से बल देना जिससे लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है।
- यह वातावरण के कार्बन को मृदा में ही रखने की एक जांची परखी पद्धित है।
- खनन अन्वेषण और लाइसेसिंग नीति का पुनर्निर्माण करने के लिए 'एक्सप्लोर इन इंडिया' मिशन का आरंभ करना।

🗲 दूसरा खंड अवसंरचना से संबंधित है जो विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- पहले से मंजूर किए जा चुके रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना में तेजी लाना।
- आरडीए रेलवे के लिए एकीकृत, पारदर्शी और गतिशील मूल्य व्यवस्था के संबंध में परामर्श देने या सुविज्ञ निर्णय लेने का कार्य करेगा।
- तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा फ्रेट परिवहन के अंश को दोहरा करना।
- बुनियादी ढांचा पुरी तरह तैयार होने तक शुरुआत में, वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
- 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी। वर्ष 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाएं राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- 🕨 समावेशन से संबंधित तीसरा खंड समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं में निवेश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है। इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं:
 - देश भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (पीएम-जेएवाई) प्रारंभ करने सिंहत आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन।
 - केन्द्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजिनक स्वास्थ्य के लिए फोकल प्वाइंट बनाना।
 - समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन।
 - 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के जरिए जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
 - प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्ररी की संकल्पना करना।
- गवर्नेस से संबंधित अंतिम खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
 - उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जिटलताओं के बीच सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासिनक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
 - मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्विरत बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिए मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायित मध्यस्थों का आकलन करने के लिए नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना।
 - लंबित मामलों को निपटाना- नियमित न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरित करना।
 - भराव के क्षेत्रों को कवर करने, प्लास्टिक अपिशष्ट और नगर निगम के अपिशष्ट तथा अपिशष्ट से धन सृजित करने की पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दायरे का विस्तार करना।

कर्ज़माफी समस्या या समाधान

संदर्भ

मौसम की मार, कर्ज़ की मार, फसलों का उचित रख़-रख़ाव और उपज का सही कीमत न मिलना इस धरती पुत्र की कमर तोड़ देती है और नतीजा किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आता है। चुनावी सीज़न में राजनीतिक पार्टियाँ किसानों की सुध लेती हैं और उन्हें साधने के लिये कर्ज़माफी का शिगूफा छेड़ देती हैं, बिना यह सोचे-समझे कि इसका नकारात्मक और दूरगामी प्रभाव क्या होगा?

क्या कर्ज़माफी से किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? और सबसे अहम यह कि क्या आज तक हुई कर्ज़माफी से अन्नदाता की किस्मत बदली है? इन सवालों पर इस वक्त देश में बहस तेज़ है। नीति आयोग ने इसे अर्थव्यवस्था सिहत किसानों के लिये भी सही नहीं बताया है।नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया /75 में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ ही आधारभूत संरचना के विकास की बात कही है।

पृष्ठभूमि

दरअसल, 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने पहली बार पूरे देश में किसानों का करीब 10 हज़ार करोड़ रुपए का क़र्ज़ माफ किया था। उसके बाद NDA सरकार ने 2008-09 के बजट में करीब 71 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़माफी का एलान किया। वहीं राज्यों की बात करें तो 2014 से अब तक सात राज्यों ने करीब 1 लाख 82 हज़ार 802 करोड़ तक के कर्ज़माफी का एलान किया।2014 में आंध प्रदेश ने 24 हज़ार करोड़, तेलंगाना ने 17 हज़ार करोड़ जबिक 2016 में तिमलनाडु ने 6 हज़ार करोड़ और वर्ष 2017 में महाराष्ट्र ने 34 हज़ार करोड़, वहीं उत्तर प्रदेश ने 36 हज़ार करोड़ और पंजाब ने 1 हज़ार करोड़ रुपए कर्जमाफी का एलान किया। अगर इसमें हाल के तीन राज्यों यानी मध्य प्रदेश के संभावित 35 हज़ार से 38 हज़ार करोड़, छतीसगढ़ के लगभग 6 हज़ार करोड़ और राजस्थान के 18 हज़ार करोड़ रुपए के कर्ज़माफी को जोड़ दिया जाए तो यह आँकड़ा काफी बढ़ जाएगा।

क्या कर्ज्माफी किसानों की समस्याओं का समाधान है?

क्या कर्ज़माफी किसानों की समस्या का समाधान है? इस पर देश में बहस तेज़ हो गई है। जानकारों का मानना है कि यह राज्यों के वित्तीय हालत के लिये सही नहीं है।नीति आयोग का भी मानना है कि कर्ज़माफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है। इससे पहले RBI भी कई बार कह चुका है कि कर्ज़माफी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिहाज से सही नहीं है।किसान देश के अन्नदाता हैं। लेकिन उनके सामने समस्याएँ भी कई हैं, उनमें से एक है कर्ज़ की समस्या। कर्ज़ नहीं चुका पाने की वज़ह से कई किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि यह अर्थव्यवस्था के लिहाज से कर्ज़माफी कितना कारगर उपाय है। नीति आयोग का मानना है कि कर्ज़माफी जैसे कदमों से सिर्फ कुछ किसानों को मदद पहुँचेगी। यह किसानों की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान नहीं है।

किसानों की समस्याओं को दूर करने से जुड़ी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को वर्तमान सरकार ने स्वीकार किया है।किसानों का ऋण साढ़े 10 लाख करोड़ तक बढ़ गया है राज्य सरकारों को कर्ज़माफी का फैसला अपनी वित्तीय स्थित को देखकर उठाना चाहिये। इससे किसानों के सिर्फ एक तबके को लाभ होगा। गरीब राज्यों के सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत किसान कर्ज़माफी से लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे राज्यों में बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कर्ज़ लेने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि 25 प्रतिशत किसान भी संस्थागत कर्ज़ नहीं लेते। कृषि कर्ज़ से संबंधित एक पहलू यह भी है कि किसान जो कर्ज़ खेती के लिये लेते हैं उसे पूरा इस्तेमाल खेती को बढ़ावा देने के लिये नहीं हो पाता। कुछ राज्यों में किसान कृषि कर्ज़ के तीन-चौथाई का इस्तेमाल खेती के लिये नहीं बल्कि दूसरे नीजी जुरूरतों के लिये कर लेते हैं।

नीति आयोग का यह भी मानना है कि राज्यों में किसानों के कर्ज़ लेने के मामले में संस्थागत पहुँच को लेकर भारी अंतर है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कर्ज़माफी से मदद नहीं मिलती। इसमें दो राय नहीं है कि कर्ज़माफी से राज्यों की अर्थव्यवस्था के सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है। कृषि से जुड़े ज्यादातर मामले राज्य सरकारों के दायरे में आता है। लेकिन विडंबना है कि ज्यादातर राजनीतिक दल स्थायी समाधान पर ज़ोर देने की बजाय राजनीतिक लाभ के लिये कर्जमाफी का फार्मूला अपनाते हैं।

मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझें तो राज्य सरकार के कर्ज़माफी के फैसले से देश की जनता पर 34 से 38 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। राजस्थान में कर्ज़माफी से सरकारी खजाने पर करीब 18 हज़ार करोड़ का बोझ आएगा।इससे पहले देश का केंद्रीय बैंक रिज़र्व बैंक आफ इंडिया भी कई बार कह चुका है कि कर्ज़माफी जैसे कदमों से देश को राजस्व का बहुत नुकसान होता है और ऐसे फैसले देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

कुर्ज़ माफी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सवाल यह है कि क़र्ज़माफी के फैसले का सकारात्मक प्रभाव राज्यों और किसानों पर कितना पड़ेगा। यह सवाल इसिलये महत्त्वपूर्ण है कि आखिर इस क़र्ज़माफी से किसान को फायदा होगा या नुकसान। जानकारों की मानें तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है। इसका असर किसानों और राज्य की अर्थयवस्था पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। दरअसल, इस क़र्ज़माफी का फायदा कुछ हद तक बड़े किसानों को मिल सकता है लेकिन छोटे किसानों पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि बड़े किसान कुछ हद तक कर्ज़ चुकाने की स्थिति में होते हैं, और वही कर्ज़ भी ले पाते हैं। इसिलये इसका फायदा भी वही उठा सकते हैं।जबिक छोटे किसानों को इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पिछले कुछ वर्ष के आँकडों को अगर देखें तो राज्यों के मुकाबले केंद्र पर राजकोषीय घाटा ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकारों ने क़र्ज़माफी की घोषणा की है उससे राजकोषीय घाटा और ज्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है। इसकी भरपाई के लिये राज्यों को केंद्र से या फिर दूसरे विकल्पों के ज़िरये क़र्ज़ लेना होगा और दूसरे विकास कार्य कहीं-न-कहीं इसकी वजह से प्रभावित होंगे। इसके अलावा, बाहर से कर्ज़ लेने पर राज्य सरकारों को इसकी अदायगी के लिये ज्यादा ब्याज देना होगा। दरअसल, कर्ज़माफी को पूरी तरह राज्य ही वहन करता है।

इस तरह की एजेंसी कभी भी भारत को बेहतर रेटिंग नहीं देती है। क्योंकि रेटिंग देते समय सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं देखा जाता बल्कि इसमें राज्यों का भी काफी योगदान होता है। लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ने से इस तरह की एजेंसियाँ हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को शक की निगाह से देखेंगी। हालाँकि केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि वित्तीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए लेकिन राज्यों के इस फैसले से इस लक्ष्य की प्राप्ति में मुश्किलें आएंगी।

किसानों की समस्याएँ का हल

सवाल यह है कि कर्ज़ माफ करने से किसानों की हालत सुधरनी होती तो यह काफी पहले हो चुकी होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ लिहाजा सरकारों को कर्ज़माफी की जगह किसानों की हालत सुधारने के लिये ज़रूरी उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में ज़रूरी है कि कर्ज़माफी की जगह किसानों के उपज की खरीद, उसके रख–रखाव के साथ ही उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाए ताकि उत्पादों की कीमत में स्थिरता बनी रहे। किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिये ज़रूरी है कि किसानों की समस्या का स्थायी और दीर्घकालिक समाधान निकालने के उपायों पर ज़ोर दिया जाए, न कि कर्ज़माफी जैसे उपायों का सहारा लिया जाए।

नीति आयोग ने नए भारत के लिये तैयार रणनीति में इन उपायों का ज़िक्र किया है। किसानों की समस्या के लॉन्ग टर्म समाधान के लिये मार्केटिंग तथा इंफ़्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। किसान को मार्केट से लिंक करना होगा। सबसे अहम है कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाना जो काफी कम है। उन राज्यों में निवेश काफी कम है जहाँ कर्ज़माफी की गई है। इन राज्यों के बजट पर दबाव है। उत्पादन क्षति, सूखा, अधिक वर्षा, मौसम का अनुकूल न होना, जल की कमी ऐसी समस्याएँ हैं जो किसानों का स्ट्रेस बढ़ाने के प्रमुख कारक हैं जिसका स्थायी समाधान निकालना बेहद ज़रूरी है।

किसानों की आय दोगुनी करने की नीति आयोग की रणनीति

केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसी आधार पर कृषि नीति पर काम किया जा रहा है। 19 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए भारत के लिये नीति आयोग द्वारा तैयार की गई रणनीति को जारी किया, इसे 'नए भारत के लिये रणनीति/75' का नाम दिया गया है। इसमें किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिये सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई है। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने के लिये नए कदमों की श्रृंखला शुरू की है।

नीति आयोग के इस रणनीतिक दस्तावेज में खेती की उत्पादकता और क्षमता में विकास पर ज़ोर दिया गया है। बाज़ारों तक अपनी पैदावार के लिये किसानों की पहुँच बढ़े उसके लिये नीति आयोग ने ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विस्तार करने को कहा है। कृषि उपज विपणन सिमित कानून की जगह कृषि उपज पशुधन विपणन नीति लाकर कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषि उद्यमी बनाने पर ज़ोर दिया गया है। नीति आयोग ने माना है कि एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का गठन मुक्त निर्यात व्यवस्था और ज़रूरी जिंस कानून को समाप्त करना कृषि वृद्धि के लिये ज़रूरी है। कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिये ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती को ज़ोरदार तरीके से बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

नीति आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को किसानों की आय बढ़ाने का एक आंशिक समाधान बताया है। नीति आयोग ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की जगह एक न्यायाधिकरण गठित करने को कहा है। रणनीतिक दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 323B के प्रावधानों के अनुरूप कृषि लागत और मूल्य आयोग की जगह कृषि न्यायाधिकरण स्थापित करने पर विचार करना चाहिये। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और बाज़ार में कीमतों को गिरने से रोकने के लिये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर 22 खरीफ और रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

नीति आयोग किसानों की आय बढ़ाने के लिये कृषि उपजों के आरक्षित मूल्य पर नीलामी की व्यवस्था के पक्ष में है। रणनीतिक दस्तावेज में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम आरक्षित मूल्य की संभावना तलाशने के लिये एक समूह बनाया जाना चाहिये जो मंडियों में उपज की नीलामी के लिये शुरुआती बिंदु हो सकता है। नीति आयोग के मुताबिक, इस समूह को यह भी जाँचना चाहिये कि क्या MSP को तीन अलग-अलग मानदंडों के आधार पर तय किया जा सकता है?

ये तीन मानदंड हैं-

- 1. आवश्यकता से अधिक उत्पादित उत्पाद
- 2. घरेलू बाजार में कमी वाले ऐसे उत्पाद जिनकी घरेलू
- 3. वैश्विक स्तर पर उपलब्धता है और ऐसे उत्पाद जिनकी घरेलू और वैश्विक स्तर पर कमी है।

नीति आयोग ने भविष्य में प्रोत्साहन और कमीशन भुगतान प्रणाली के ज़िरये न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समर्थन देने के लिये बाज़ारों में करोबार करने वाले निजी व्यापारियों को शामिल करने के विकल्पों की जाँच का सुझाव दिया है। नीति आयोग का मानना है कि MSP या कीमतें बढ़ाना सिर्फ किसानों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने की समस्या का आंशिक समाधान हो सकता है। दीर्घकालिक समाधान के लिये प्रतिस्पर्द्धी, स्थिर और एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण होना चाहिये जो बेहतर मूल्य खोज को संभव बनाएगा। नीति आयोग ने खेती की उत्पादकता और क्षमता के विकास के लिये सूक्ष्म सिंचाई और कांट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती को ज़रूरी बताया है।कृषि निर्यात के बारे में आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार को सुसंगत और स्थिर कृषि निर्यात नीति लानी चाहिये जो आदर्श रूप से 5 से 10 वर्ष की सोच के साथ तय हो। बीच-बीच में इस नीति की समीक्षा भी होनी चाहिये।

आयोग ने सिंचाई सुविधाओं, विपणन सुधार, कटाई के बाद फसल प्रबंधन और बेहतर फसल बीमा उत्पादों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने की भी बात कही है। किसानों तक उर्वरकों की पहुँच सुनिश्चित हो इसके लिये 2022 तक यूरिया के उत्पाद में आत्मिनर्भर बनने का लक्ष्य तय किया गया है।

उर्रवरक में सीधे नकदी लाभ देने यानी DBT लाने की पायलट परियोजना अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इन सबके अलावा यह ज़रूरी है कि खेती के फायदे के लिये बन रही योजनाओं और नीतियों के बारे में किसानों को बेहतर जानकारी मिल सके।ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

किसानों की कर्ज़माफी पर राजनेता और अर्थशास्त्री आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ओर राजनीतिक दल किसानों की कर्ज़माफी के लुभावने वादे कर सत्ता हासिल कर रहे हैं तो वहीँ दूसरी ओर अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। किसानों की मदद के साक्षात्कार विशेष समसामयिक विषय

लिये बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि उन्हें कर्ज़माफी जैसी सुविधा की बजाय खेती की ज़रूरत का सामान मुहैया कराया जाए तथा कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए। सरकारों को इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है कि किसानों के लिये वे ऐसी योजनाएँ तैयार करें जिससे गरीब से लेकर संपन्न किसान को कर्ज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें।

